

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 244
जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2022 को दिया जाना है।

.....
भूजल में संदूषण

244. श्रीमती पूनम महाजन:
कुमारी राम्या हरिदास:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां नदियां और भूजल लवणता, लौह और नाइट्रेट्स के कारण दूषित पाए गए हैं;
- (ख) क्या यह सच है कि यह भारतीय मानक (बीआईएस) ब्यूरो द्वारा संदूषण की निर्धारित सीमा से अधिक है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टूडू)

(क) से (ग): केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यू) द्वारा इसके भूजल गुणवत्ता मानीट्रिंग कार्यक्रम तथा विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के एक भाग के रूप में क्षेत्रीय पैमाने पर देश के भूजल गुणवत्ता आंकड़ों का सृजन किया जाता है। इन अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के छिटपुट पॉकेटों में मानव उपयोग के लिए अनुमत्य सीमा (बीआईएस के अनुसार) से अधिक संदूषकों यथा नाइट्रेट, लौह, लवणता पायी गई है। इस संदर्भ में विवरण **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा देश के विभिन्न भागों में अवस्थित विभिन्न केंद्रों के माध्यम से देश की नदियों के संदर्भ में सतही जल गुणवत्ता सूचना उपलब्ध कराई जाती है। अगस्त, 2018 से दिसंबर, 2020 की अवधि की सूचना के अनुसार राजस्थान, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, गुजरात, मणिपुर, दिल्ली, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम राज्यों के अंतर्गत आने वाले कुछ नदी घाटियों में

अवस्थित 414 क्षेत्रों में लौह पैरामीटर पेयजल के लिए निर्धारित मानक (बीआईएस के अनुसार) से अधिक पायी गई है। इसके अतिरिक्त, 01 जून, 2019 से 31 मई, 2020 के जल वर्ष के लिए 588 क्षेत्रों के 8 केंद्रों पर नाइट्रेट की मात्रा पेयजल के लिए निर्धारित सीमा (बीआईएस के अनुसार) से अधिक पायी गई है। इस संदर्भ में विस्तृत विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण आदि के परिणामस्वरूप देश में जल की लगातार बढ़ती मांग के कारण नदियों और भूजल में संदूषण स्तर में वृद्धि हुई है। भूजल और सतही जल स्रोतों में संदूषण के लिए कृषि क्षेत्र में उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग को भी एक घटक माना जा सकता है।

(घ): जल राज्य का विषय होने के कारण इसकी गुणवत्ता सहित जल प्रबंधन पर पहल करना मुख्यतः राज्यों की जिम्मेदारी है, हालांकि देश में जल संदूषण को नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति (एसपीसीबी/पीसीसी) के सहयोग से जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जल (सुरक्षा और नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सीपीसीबी द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित अपशिष्टों के निस्सरण के लिए उद्योग विशिष्ट मानक तथा सामान्य मानकों को विकसित कर बिंदु स्रोत पर जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसे एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा लागू किया जाना है। सीपीसीबी के निर्देशों के अनुसार अपशिष्ट गुणवत्ता पर रियल टाइम सूचना पाने के देश के औद्योगिक इकाइयों में ऑनलाइन निरंतर अपशिष्ट मानीटोरिंग प्रणाली (ओसीईएमएस) संस्थापित की गई है तथा अनुवर्ती निरीक्षण और कार्रवाई करने तथा इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए इकाइयों की पहचान की गई है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा दिनांक 24 सितंबर, 2020 को अखिल भारतीय प्रयोज्यता के साथ भूजल निकासी के नियंत्रण और विनियमन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में प्रदूषण मुक्त भूजल को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है।

जल प्रदूषण का एक कारण सतही जल स्रोतों का संदूषित होना भी है, जिसके लिए देश में सीवेज उपचार संयंत्र, अपशिष्ट उपचार संयंत्र तथा बेहतर सीवेज नेटवर्क प्रणाली की स्थापना कर विभिन्न प्रयास किए गए हैं। हालांकि जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध कराते हुए जल प्रदूषण के विपरीत प्रभाव को बड़े पैमाने पर रोका जा सकता है। इस उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की साझेदारी से अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) का क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर को निर्धारित गुणवत्ता सहित नल का पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

इसके अतिरिक्त, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इनके कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को सहायता प्रदान की जा रही है। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) ऐसा ही एक कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत देश के चुनिंदा 500 शहरों और नगरों में 25 जून, 2015 को की गई थी। यह मिशन अमृत शहरों में मूलभूत शहरी अवसंरचना जैसे जल आपूर्ति, सीवेज और सेप्टेज प्रबंधन, स्टॉर्म जल निकासी, हरित क्षेत्र एवं पार्क तथा नॉन मोटराइज्ड शहरी परिवहन के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।

इसके अतिरिक्त, 5 वर्ष की अवधि के लिए (वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26) दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 को अमृत 2.0 की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य देश के सभी विधायी शहरों में चालू नल कनेक्शन के माध्यम से जल आपूर्ति उपलब्ध कराना है।

यदि वर्षा जल संचयन के माध्यम से भूजल का पुनर्भरण किया जाए तो भूजल में संदूषकों के स्तर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में कई पहल/स्कीम शुरू किए गए हैं यथा जल शक्ति अभियान, पीएमकेएसवाई, वाटर शेड विकास, मनरेगा, अटल भूजल योजना आदि। इस संदर्भ में जेएसए के शुरुआत वर्ष 2019 में की गई जिसे वर्ष 2021 और 2022 में भी जारी रखा गया। इसके अतिरिक्त, भारत के माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय राष्ट्रपति द्वारा क्रमशः वर्ष 2021 एवं 2022 के लिए जेएसए की शुरुआत की गई। जेएसए में प्रभावी वर्षा जल संचयन के लिए पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण, पारंपरिक जल निकायों के पुनरूद्धार, सघन वन रोपण आदि पर विशेष बल दिया गया है।

"भूजल में संदूषण" के संबंध में दिनांक 08.12.2022 को लोक सभा में उत्तर दिये जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 244 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक ।

भारत के भूजल में लवणता, लौह एवं नाइट्रेट संदूषकों से आंशिक रूप से प्रभावित जिलों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लवणता (3000 माइक्रो एमएचओएस/सीएम से अधिक ईसी) (ईसी: विद्युतीय चालकता)	नाइट्रेट (45 एमजी/एल से अधिक)	लौह (1 एमजी/एल से अधिक)
1	आंध्र प्रदेश	12	13	12
2	तेलंगाना	9	10	9
3	असम			25
4	अरुणाचल प्रदेश			6
5	बिहार	4	32	35
6	छत्तीसगढ़	1	24	22
7	दिल्ली	8	9	5
8	गोवा			2
9	गुजरात	26	32	14
10	हरियाणा	18	21	20
11	हिमाचल प्रदेश		7	5
12	जम्मू और कश्मीर		9	10
13	झारखंड		23	23
14	कर्नाटक	29	29	22
15	केरल	4	14	15
16	मध्य प्रदेश	20	51	47
17	महाराष्ट्र	28	30	24
18	मणिपुर			4
19	मेघालय			7
20	नागालैंड			5
21	ओडिशा	18	29	31
22	पंजाब	12	23	16
23	राजस्थान	31	33	33
24	तमिलनाडु	29	32	16
25	त्रिपुरा			8
26	उत्तर प्रदेश	14	62	68
27	उत्तराखंड	1	4	8
28	पश्चिम बंगाल	9	16	21
29	अंडमान और निकोबार	1		3
30	दमन और दीव	1	2	
31	पुदुचेरी		2	
	कुल	20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 275 जिलों के भाग	23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 507 जिलों के भाग	29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 516 जिलों के भाग

अनुलग्नक- II

"भूजल में संदूषण" के संबंध में दिनांक 08.12.2022 को लोक सभा में उत्तर दिये जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 244 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्र.स.	जल गुणवत्ता क्षेत्र	नदी	वर्ष	माह	नाइट्रेट (45 एमजी/एल से अधिक)
1	आमगाँव	चुलबंद	2019	नवंबर	62.925
2	भाकरी	वैनगंगा	2019	नवंबर	45.1
	भाकरी	वैनगंगा	2019	सितंबर	45.45
3	कोल्लेगल	कावेरी	2019	जून	81.26
4	लोधिखेदा	जाम	2019	नवंबर	47.60
5	मुंगोली	पेनगंगा	2019	सितंबर	47.55
6	टी. बेकुप्पे	अर्कावती	2019	नवंबर	51.70
	टी. बेकुप्पे	अर्कावती	2019	नवंबर	45.17
7	टैंडी	भागा	2019	अगस्त	75.64
	टैंडी	भागा	2019	जून	48.8
	टैंडी	भागा	2019	अक्टूबर	97.6
	टैंडी	भागा	2019	सितंबर	107.54
8	थिम्मनहल्ली	यागाची	2019	जून	78.06

अध्ययन अवधि (2019-20)
